संख्या-15/वीजीएल/012-276469
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 25.02.2015

परिपत्र सं-02/02/2015

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों में सत्यनिष्ठा संधि का अंगीकरण संबंधी ।

संदर्भ: आयोग का दिनांक 04.12.2007 का कार्यालय आदेश सं0 41/12/07, दिनांक 05.08.2008 का परिपत्र सं0 24/8/08 और दिनांक 18.05.2009 का परिपत्र सं0 10/5/09 तथा व्यय विभाग के दिनाकं 19.07.2011 एवं 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन ।

वर्ष 2007 में, आयोग ने सभी बड़ी खरीदों के लिए सत्यनिष्ठा संधि नामक एक संकल्पना के कार्यान्वयन की सिफारिश की थी, जो प्रत्याशित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और खरीददारों के मध्य एक अनुबंध पर अनिवार्यत: विचार करता है जिसमें दोनों पक्षों के व्यक्ति/कर्मचारी ठेके के किसी भी पहलू में किसी भी प्रकार का भ्रष्ट प्रभाव ना डालने की प्रतिज्ञा करते हैं । इसके अतिरिक्त, मई 2009 में आयोग ने सत्यनिष्ठा संधि के आवश्यक संघटकों की रूपरेखा बनाते हुए एक मानक संचालन प्रक्रिया बनाई । सत्यनिष्ठा संधि, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की अनुसूची निर्दिष्ट करती है, जो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से समीक्षा करेंगे कि सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत पक्षों ने अपने दायित्वों का पालन किस सीमा तक किया है ।

2. आयोग का दिनांक 05.08.2008 का परिपत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/ वित्तीय संस्थानों को उनकी सीमित खरीद गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सत्यनिष्ठा संधि अंगीकरण से छूट देता है । तथापि, पिछले वर्षों में, यह देखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक बीमा कंपनियां तथा वित्तीय संस्थानों में बड़ी खरीद गतिविधियों में वृद्धि हो रही है । अत:, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों के लिए भी यह अत्यावश्यक हो गया है कि वे अब अपनी खरीद तथा निविदा प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए सत्यनिष्ठा संधि का अंगीकरण करें तथा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की नियुक्ति करें । वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने बाद में दिनांक 19.07.2011 एवं 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापनों द्वारा मंत्रालयों/विभागों के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित सभी संगठनों को सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं ।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां तथा वित्तीय संस्थान सत्यनिष्ठा संधि को अंगीकृत और कार्यान्वित करेंगे । उसके बाद, दिनांक 18.05.2009 के परिपत्र सं0 10/5/09 द्वारा जारी आयोग के मानक संचालन प्रक्रिया के पैरा 5 में निर्धारित अनुसार प्रतिष्ठित सेवानिवृत्ति व्यक्तियों के चार/पांच नामों की सूची, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के रूप में अनुमोदनार्थ आयोग को भेजी जाए । आयोग, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के रूप में नियुक्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा भेजी गई सूची में से दो स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के नाम स्वीकृत करेगा । सार्वजनिक उद्यम विभाग को संबोधित, व्यय विभाग के दिनांक 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न सत्यनिष्ठा संधि की प्रति, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों में सत्यनिष्ठ संधि के उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाएं ।

4. अत:, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां तथा वित्तीय संस्थान यह सुनिश्चित करें कि सत्यनिष्ठा संधि का अंगीकरण कर लिया गया है तथा **30 अप्रैल, 2015** तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं ।

-ह0-

(जे.विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

संलग्नक : यथा उपर्युक्त

1. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ।
2. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों के मुख्य सतर्कता अधिकारी ।